प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 27.05.2026

❖ **थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व 01 बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना बरौर पर दिनांक 20.05.2026 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 043/2026 धारा 75/115(2)/352/131 बीएनएस व 7/ 8 पॉक्सो एक्ट एवं 3(1)द,घ एससी/एसटी एक्ट बनाम रामू सविता उर्फ राजा पुत्र सुरेश सविता निवासी ग्राम देवब्रम्हापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात व बाल अपचारी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा में मेडिकल परीक्षण, बयान पीड़िता धारा 180/183 बीएनएसएस व अन्य साक्ष्यों/ तत्थ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप करते हुए धारा-70(1)/109 बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्त रामू सविता उर्फ राजा पुत्र सुरेश सविता निवासी ग्राम देवब्रम्हापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 27.05.2026 को टुटईचाँद जाने वाले रास्ता थाना क्षेत्र बरौर से गिरफ्तार किया गया एवं 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांका बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व पुलिस संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/ संरक्षण में लिये बाल अपचारी का नाम व पता-

1. रामू सविता उर्फ राजा पुत्र सुरेश सविता उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम देवब्रम्हापुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
2. बाल अपचारी।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांका

गिरफ्तारी करने वाली थाना बरौर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेश कुमार
2. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार
3. उ0नि0 श्री समर सिंह
4. हे0का0 योगेन्द्र सिंह
5. का० हिमांशू
6. रि0का0 आशीष जयराज